OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Nitin Singh Bhadauria I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 27-8-18 at time 1:30 pm at Almora in which application claiming rights **of Quarban** area measuring **0.225 hec.** for the सौगढ़–पन्तगांव–चमड़खान सगीना नौगांव लछमौला मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी0) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhikiyasain** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

DATE: 27-8-18

समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.………………………   Dated…27-8-2018………………

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.225 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of सौगढ़–पन्तगांव–चमड़खान सगीना नौगांव लछमौला मोटर मार्ग का नव निर्माण (लग्म्बाई 3.00 किमी0) हेतु **district Almora within jurisdiction of Sagina Village (s) in Bhikiyasain tahsils.**

It is further certified that:

(d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.225** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ……………. to annexure……………..

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES

(f) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

District Collector
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Lata/D/mahesh sir/ FRA New(Vikram singh)

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.......................... Dated 27-8-2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 0.225 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of सौगढ़–पन्तगांव–चमड़खान सगीना नौगांव लछमौला मोटर मार्ग का नव निर्माण (लग्म्बाई 3.00 किमी0) हेतु **district Almora within jurisdiction of Sagina Village (s) in bhikiyasain tahsils.**

It is further certified that:

(g) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.225hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure ....

(h) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(i) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Quarban** villages (s) is enclosed as annexure 3.

(j) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(k) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(l) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Nitin Singh Bhadaurja
District Collector, Almora
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रारूप–30.2

परियोजना का नाम– सौगढ पन्तगॉव चमडखान सगीना नौगॉव लछमोला मोटर मार्ग का नव निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिक्यिासैन

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भिक्यिासैन

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.225 वन भूमि) का **लो0नि0वि0 रानीखेत** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील रानीखेत) की दिनांक 30-7-18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गौरव चटवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री गौरव चटवाल उपजिलाधिकारी भिक्यिासैन ....अध्यक्ष

2– श्री चन्दन गिरि गोस्वामी उप प्रभागीय वनाधिकारी ....सदस्य

3– कु॰ श्री नम्रता जोशी सहायक समाज कल्याण अधिकारी ताड़ीखेत सदस्य /सचिव

4– श्री भगवती प्रसाद बी0डी0सी0 क्षेत्र ....सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत

भगवती प्रसाद
क्षेत्र पंचायत सदस्य
कडाकोट वि0 ख0 ताड़ीखेत

Namata
30/07/18

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के सौगढ पन्तगॉव चमडखान सगीना नौगॉव लछमोला मोटर मार्ग का नव निर्माण **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **भिक्यिासैन** परिक्षेत्र के अन्तर्गत सौगढ पन्तगॉव चमडखान सगीना नौगॉव लछमोला मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु **0.225** वन भूमि– **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील भिक्यिासैन
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी,अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील भिक्यिासैन
जनपद अल्मोड़ा

उपजिलाधिकारी
भिक्यिासैन
जिला-अल्मोड़ा

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम– सौगढ पन्तगॉव चमडखान सगीना नौगॉव लछमोला मोटर मार्ग का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम –नौबा
तहसील भिकियासैन जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सौगढ पन्तगॉव चमडखान सगीना नौगॉव लछमोला मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.0 सिविल सोयम भूमि 0.225 है वन पंचायत) अर्थात कुल 0.225 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नौबा द्वारा दिनांक 28/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सगीना** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/ (नवीन चन्द्र सिंह) प्रधान
ग्राम प्रधान/सरपंच
ग्राम पंचायत नौबा पो0ओ0 चमड़खान वि0ख0 ताड़ीखेत (अल्मोड़ा)
मुहर सहित

ह0/
ग्राम सचिव पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नौबा
मुहर सहित वि0ख0 ताड़ीखेत
जिला–अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.1

दिनांक 28/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामसिंह नेगी	
2	प्रेमलासिंह	
3	[illegible]	
4	बचेसिंह	
5	मोहनसिंह	
6	देवसिंह	
7	चन्दनसिंह	
8	[signature]	
9	[signature]	
10	[signature]	

[signature]
(नवीन चन्द्र सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत नौगा
पो0ओ0 चमरखान
वि0ख0 ताड़ीखेत (अल्मोड़ा)

Anand- Ameen-Van Adhikar Act 2006